रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127

REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

105] नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 20, 1991/फाल्गुन 1, 1912
105] NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 20, 1991/PHALGUNA 1, 1912

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

पर्यावरण और वन मंत्रालय

(पर्यावरण, वन तथा वन्यजीव विभाग)

तटीय क्षेत्रों को तटीय विनियम क्षेत्र घोषित करते हुए तथा तटीय विनियम क्षेत्र में गतिविधियों को विनियमित करते हुए पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3(2)(5) और धारा 3(1) और पर्यावरण (संरक्षण) नियमावली, 1986 के नियम 5(3)(घ) के तहत अधिसूचना।

नई दिल्ली, 19 फरवरी, 1991

का.आ. 114 (अ) :- जबकि तटीय क्षेत्रों को तटीय विनियम क्षेत्र (सी आर जेड) के रूप में घोषणा तथा सी आर जेड में उद्योगों, संचालनों और प्रक्रियाओं पर प्रतिबंध के विरुद्ध आपत्तियां आमंत्रित करते हुए पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1936 की धारा 3(1) और धारा 3(2)(5) के तहत एक अधिसूचना का.आ.सं.-944 (ई) दिनांक [illegible] 1990 के अनुसार जारी की गई थी :

जबकि केन्द्रीय सरकार ने प्राप्त सभी आपत्तियों पर समुचित विचार किया है ;

अतः अब पर्यावरण (संरक्षण) नियमावली, 1986 के नियम 5 के उप नियम (3) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों और उसको इस संबंध में प्राप्त अन्य सभी अधिकारों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा समुद्रों, खाड़ियों, मुहानों, निवेशिकाओं, नदियों, और पश्चजलों के तटीय भागों, जो ज्वार रेखा से 500 मीटर तक स्थल की ओर ज्वारीय क्रिया से प्रभावित हैं तथा निम्न ज्वार रेखा और उच्च ज्वार रेखा के बीच की भूमि को तटीय विनियमन परिक्षेत्र के रूप में घोषित करती है और इस अधिसूचना की तारीख से उक्त तटीय विनियमन क्षेत्र में उद्योगों, संचालनों अथवा प्रक्रियाओं आदि की स्थापना और विस्तार पर निम्नलिखित प्रतिबंध लगाती है। इस अधिसूचना के प्रयोजनार्थ उच्च ज्वार रेखा को उस रेखा के रूप में परिभाषित किया जाएगा, जहां तक सर्वोच्च उच्च ज्वार, स्प्रिंग ज्वार तक पहुंचती है।

नोट : नदियों, खाड़ियों और पश्चजलों के मामले में प्रस्तावित विनियमन उच्च ज्वार रेखा से जितनी दूरी पर लागू होंगे, वह दूरी तटीय क्षेत्र प्रबन्ध योजनाएं (नीचे संदर्भित) तैयार करते समय रिकार्ड किए जाने वाले कारणों से हर मामले में संशोधित की जा सकती है लेकिन यह दूरी 100 मीटर नदियों के मामले में या खाड़ी अथवा पश्चजलों अथवा नदी की चौड़ाई, जो भी कम हो, से कम नहीं होगी।

2. प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप :- निम्नलिखित क्रियाकलाप तटीय विनियमन परिक्षेत्र के भीतर प्रतिषिद्ध किए जाते हैं, अर्थात् :-

(i) नये उद्योगों की स्थापना तथा मौजूदा उद्योगों का विस्तार, सीधे तटीय नगर स्थान से संबंधित या सीधे तटाग्र सुविधाओं की आवश्यकता वाले उद्योगों को छोड़कर ;